इकाई 12 समावेषी षिक्षा

इकाई की रूपरेखा

12.1 प्रस्तावना

12.2 उद्देष्य

12.3 विशेष आवष्यकताओं वाले बच्चे

12.4 समावेषन का प्रत्यय

12.5 विशिष्ट आवष्यकताओं वाले बच्चों के समावेषन में बाधाएँ

12.6 कानूनों और प्रावधानों की संक्षिप्त रूपरेखा

12.7 विशेष षिक्षाः समेकन–समावेषन

- 12.7.1 चिकित्सकीय बनाम सामाजिक प्रतिमान
- 12.7.2 एक विद्यालय समावेषन हेतु कैसे तैयार होता है?

12.8 समावेषी कक्षा में अध्यापक की भूमिका

12.9 विशेष आवष्यकता वाले बच्चों की आवष्यकताएँ

- 12.9.1 दृष्टि बाधित बच्चों की विशेष आवष्यकताएँ
- 12.9.2 श्रवण दोषयुक्त बच्चों की विशेषताएँ
- 12.9.3 मानसिक मंदता वाले बच्चों की आवष्यकताएँ
- 12.9.4 गतिषीलन अक्षमता वाले बच्चों की आवष्यकताएँ
- 12.9.5 अधिगम अषक्त बच्चों की विशेषताएँ

12.10 सारांष

12.11 अभ्यास कार्य

12.12 बोध प्रष्नों के उत्तर

12.13 संदर्भ पुस्तकें एवं प्रस्तावित पुस्तकें

12.1 प्रस्तावना

इस इकाई में हम चर्चा करेंगे कि विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे किस–किस प्रकार की भिन्नताओं के साथ आते हैं। भिन्नताएँ उनकी योग्यता, भाषा, सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि तथा संस्कृति एवं धर्म संबंधी अन्तर भिन्नताएँ हो सकती हैं। आपको अध्यापक के रूप में इन व्यक्तिगत भिन्नताओं का बोध कैसे होता है और उनसे किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? हमारा संविधान भारत को बहुराज्य घोषित करता है और अगर षिक्षा संवैधानिक आदर्षों के अनुसार दी जाती है, तब प्रत्येक बच्चे को षिक्षा पाने के बराबर अवसर दिए जाने चाहिए। उनके अंतरों को पहचानने और विद्यालय में उचित प्रावधान किए जाने की आवष्यकता है। इस इकाई में हम यह समझेंगे कि कैसे हमारे विद्यालय और कक्षाएँ सामाजिक अंतरों को मिटा/कम कर सकते हैं? समावेषन इन चुनौतियों में से एक है।

यह इकाई समावेष की अवधारणा को एक दार्षनिक के रूप में समझने का छोटा सा प्रयास है। हम विकलांगता (अषक्तता) को एक चिकित्सीय समस्या न मानकर एक ऐसी सामाजिक समस्या मानें जिसमें सभी की व्यक्तिगत आवष्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य बन जाता है। हम उन सभी नीतियों का भी अध्ययन करेंगे जो इस क्षेत्र में बनाई गई हैं। फिर हम

विस्तार से देखेंगे कि विशेष बच्चों की विशिष्ट आवष्यकताएँ क्या हैं और इन विशेष आवष्यकताओं वाले बच्चों को समावेषित करने के लिए विद्यालयों में किस तरह के परिवर्तन लाए जा सकते हैं?

12.2 उद्देष्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य हो जाएँगे किः

- बच्चों में विभिन्न प्रकार के अंतर समझ सकेंगे;
- विशेष आवष्यकताओं वाले बच्चों का प्रत्यय समझ सकेंगे;
- समावेषन की अवधारणा को समझ सकेंगे;
- उन सभी उपायों की पहचान कर सकेंगे जिनको लागू कर सामान्य विद्यालय में भी विशेष आवष्यकता वाले बच्चों को शामिल किया जा सकता है।

12.3 विशेष आवष्यकताओं वाले बच्चे

आओ एच.जी. वैल्ज द्वारा लिखित कहानी की सहायता से इस पर चर्चा करें। कहानी का शीर्षक है **"अंधों का देष"** और यह दक्षिणी अमरीकी महाद्वीप के उस खोजकर्ता के बारे में है जो सोने की भूमि इलडोराडो की खोज में गया था। वह एक घाटी में पहुँचा, जहाँ पर प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण व्यवस्था में थी। मकान भी परिपूर्ण शक्ल और आकार में थे लेकिन कहीं भी कोई रंग का प्रमाण नहीं मिलता था। लेकिन शीघ्र ही वह इसका कारण समझ गया कि इस देष में प्रत्येक व्यक्ति अंधा है।

इस कहानी का एक उदाहरण देखें:

प्रारंभ से ही नुनेज व मेडिना के विवाह का बहुत विरोध हो रहा था और इसका कारण यह नहीं था कि नुनेज, मेडिना का सम्मान नहीं करता, वरन वहाँ के लोग नुनेज को अपने से अलग मूर्ख, एवं मनुष्यता के स्तर के नीचे का प्राणी मानते थे। मेडिना का बूढ़ा पिता याकूब, अपनी इस छोटी बेटी से प्रेम करता था तथा उसे रोते देखकर बहुत दुखी होता था। वह अपनी बेटी को समझाता है कि :

"देखो मेरी प्यारी बेटी, वह मूर्ख है, वह कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता।" वहाँ के अंधे डाक्टर ने कहा, "उसका दिमाग ठीक नहीं है। बुर्जुर्गों ने भी सिर हिलाकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई। "पता नहीं इसे (मेडिना) किस चीज ने (उसकी) प्रभावित किया है?" बूढ़ा याकूब बोला।

डाक्टर बोला "सही है।" वह खुद को ही उत्तर देते हुए कहता हैः

"वे चीजें उसकी आँखें हैं वो रोगग्रस्त है एवं उसके चेहरे पर एक बड़ी कमी है, वे ऐसी हैं, जिन्होंने नुनेज के दिमाग को प्रभावित किया है और इसलिए उसका दिमाग एक निरंतर तनाव व उत्तेजना में रहता है।" बूढ़ा याकूब प्रष्नवाचक रूप में कहता है "हाँ?"

डाक्टर आगे बोलता है "मैं पूरी दृढ़ता से कह सकता हूँ कि उस (नुनेज) को ठीक करने के लिए हमें एक छोटी–सी शल्य चिकित्सा करनी होगी, जिससे उसके इन उत्तेजित अंगों (आँखों) को निकाल दिया जाए, और फिर वह ठीक हो जाएगा।"

मेडिना, जो शांति से सुन व समझ रही थी, "वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा" उसने स्वीकार किया और नुनेज को अंधे डाक्टर से मिलने को मनाती है।

वह (नूनेज) कहता है। तुम चाहती हो, मैं देखने की शक्ति खो दूँ?

(मेडिना सहमति से अपना सिर हिलाती है)

"मेरी दुनिया दृष्टि है"। (वह अपना सिर झुका लेती है।)

अन्त में (खोजकर्त्ता) नुनेज उस घाटी से भाग जाता है क्योंकि वहाँ के लोग उसकी आँखें निकालने को आतुर थे। उसने उनकी दुनिया में उथल–पुथल मचा दी। यह कहानी बताती है कि क्या सही है और क्या नहीं? यह निर्णय परिस्थिति पर आधारित है और बहुमत के दृष्टिकोण व मूल्यों पर आधारित है? उसी प्रकार पर दूसरे व्यक्तियों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं।

वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट ढंग से व्यवहार करता है, जो नहीं करता उसे असामान्य, मार्गहीन व विद्रोही मान लिया जाता है। यह कहानी कुछ आवष्यक मुद्दों पर सवाल उठाती है। "क्या/कौन सामान्य है? क्या आप नुनेज की समस्या को अपने प्रदेष के परिप्रेक्ष्य में समझ पा रहे हैं जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति दृष्टिहीन है। क्योंकि वह (नुनेज) भिन्न या अलग है, इसलिए उसे ही असामान्य व समस्या देने वाला समझा जा रहा है।

विकलांगों की विशिष्ट आवष्यकताओं की पहचान के लिए आंदोलन हुए हैं, जिन्होंने उन्हें अलग–सा कर दिया है। 19वीं शताब्दी में फ्रांस में यह प्रारंभ हुआ। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विने को फ्रांस सरकार ने बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चों को विशेष षिक्षा पाठ्यक्रमों में भेजने के लिए, उनकी पहचान की विधि विकसित करने को कहा। इसी से पहचान, निर्धारण एवं अलगाव की परिपाटी प्रारंभ हुई।

आपको क्षति (impairment), अषक्तता (disability) एवं अपंगता (Handicap) में अंतर समझना अत्यंत आवष्यकता है; जिन्हें विष्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया हैः

- **क्षति**, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या संरचनात्मक कमी या शारीरिक कार्यों में असामान्यता है।
- **अषक्तता,** किसी कार्य को उस रूप में कर पाने की क्षमता में कमी या रुकावट (किसी दुर्बलता के कारण) है, जिस रूप में सामान्य मनुष्य कर सकता है।
- **अपंगता,** किसी व्यक्ति की वह प्रतिकूलतम परिस्थिति है जो दुर्बलता या अषक्तता के कारण जन्म लेती हैं और उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका के निर्वहन से रोकती है (आयु, लिंग, सामाजिक–सांस्कृतिक कारक आदि पर निर्भर)। दूसरे शब्दों में दुर्बलता को अषक्तता में बदलने और अषक्त से अक्षम होने को रोकना संभव है।

विशेष आवष्यकताओं वाले बच्चों को व्यापक रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जाता हैः

i)	दृष्टिबाधिता – अन्धता	:	दृष्टि का पूर्णतया न होना या देखने में पूर्ण अक्षमता, निम्न दृष्टि – निम्न दृष्टि वाला व्यक्ति, छोटे छपे अक्षरों को न पढ़ पाना।
ii)	श्रवण बाधिता	:	इसमें बधिर तथा सुनने में कठिनाई दोनों आते हैं – पीछे से या किसी अन्य ओर से आ रही ध्वनि सुनने में कठिनाई होती है।
iii)	मानसिक मंदता	:	संज्ञानात्मक क्रियाओं में सार्थक दुर्बलता तथा दो या अधिक अनुकूली व्यवहारों में कमी।

iv)	चालक दुर्बलता	:	हड्डियों, जोड़ों या माँसपेषियों की निर्योग्यता जो शरीर के किसी भाग के संचालन में वास्तविक बाधा उत्पन्न करें।
v)	अधिगम निर्योग्यता	:	भाषा के प्रयोग एवं समझ, बोलना या लिखना की मूलभूत संक्रियाओं में से एक या अधिक को समझने में दोष, जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणनाओं में अपूर्ण योग्यता के रूप में दृष्टिपात हो।
vi)	प्रमस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy)	:	प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का एक भाग है और पक्षाघात, शरीर के आकार व गति का एक दोष। मस्तिष्क की क्षति के कारण ऐच्छिक गतियों में विभिन्न प्रकार के अवरोध/अक्षमताएँ।
vii)	मानसिक रुग्णता	:	मानसिक रुग्ण वे लोग होते हैं जो अपने जीवन की किसी भी अवस्था (आयु) में मानसिक विकार से ग्रसित हो जाते हैं।
viii)	अवधान में कमी संबंधी विकार (Attention Deficiency Disorder)	:	यह एक जैविक तंत्रीय विकार है जो अवधान, ध्यान न लगना, आवेग तथा अति सक्रियता आदि से संबंधित समस्याओं को जन्म देता है।
ix)	कुष्ठ रोग उपचारित	:	ऐसा व्यक्ति, जिसे कुष्ठ रोग हुआ हो और उपचार के बाद भी उसेः क) हाथ–पैरों, आँखों की पुतलियों और पलकों में सुन्नपन अनुभव होता हो, लेकिन कोई बदलाव न हुआ हो। ख) स्पष्ट कुरूपता (विकृति) तथा चलने फिरने की अक्षमता पर शारीरिक अंगों – हाथ–पैर में सामान्य कार्य करने की क्षमता हो। ग) अति शारीरिक विकृति तथा अग्र अवस्था, जो उन्हें उपयोगी रोजगार प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करे तथा कुष्ठ उपचारित के रूप में आषय लगाया जाए।
x)	बहुअपंगता	:	दो या अधिक अषक्तताओं का एक साथ होना।

विशिष्ट षिक्षा, विशिष्ट आवष्यकता वाले बच्चों की वैयक्तिक षिक्षा है। विशिष्ट षिक्षा का अर्थ है **"विशिष्ट प्रकार से निर्धारित अनुदेषन जो विशिष्ट आवष्यकता वाले बच्चों की अभिनव आवष्यकताओं को कक्षा के अनुदेषन, घर, संस्थान तथा शारीरिक षिक्षा के अन्य परिस्थितियों में पूरा करें।"**

विशिष्ट आवष्यकता वाले बच्चों को अपनी आवष्यकताओं की विविधता के कारण अतिरिक्त सहायता की आवष्यकता होती है जैसे कि चिंतन एवं समझ, शारीरिक एवं संवेदनषील कठिनाइयाँ, सांवेगिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयाँ या बोलने तथा भाषा की कठिनाइयों से

तेजी से व आसानी से मुक्ति पाने में मदद कर सकते हैं। परंतु कुछ बच्चों को विद्यालय में कुछ समय या पूरे समय अतिरिक्त मदद की आवष्यकता होती है।

अषक्तता वाले व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र (UNCRPD) ने अषक्तता के सामाजिक प्रतिमान के प्रयोग से एक परिवर्तन किया है। यह प्रतिमान अषक्तता को एक विकसित हो रहे प्रत्यय के रूप में देखता है तथा समाज तथा दूसरों से इसी आधार पर पूर्ण व प्रभावी भागीदारी पर ध्यान केन्द्रित करता है।

बोध प्रष्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) क्षति, अषक्तता एवं अपंगता में अंतर बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) विशिष्ट षिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12.4 समावेषन का प्रत्यय

"सभी के लिए षिक्षा" के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में वैष्विक स्तर पर षिक्षण व्यवस्था के सम्मुख "समावेषन" एक प्रमुख चुनौती के रूप में है। उद्देष्य ऐसे विद्यालयों का विकास है जो विद्यार्थियों की विविधता, विशेष रूप से ऐसे विद्यार्थियों के समूह, जो सीमान्तता, बहिष्करण और निम्न उपलब्धि वाले हैं, की आवष्यकताओं की पूर्ति कर सकें। विविधता के समायोजन के लिए असामान्य बातों को खुले मन से सुनना, सभी सदस्यों को शक्तिषाली बनाना, निर्धारित तरीकों से विभिन्नताओं को साथ लाना और एक–दूसरे के साथ जीवन जीना सीखना होगा।

अपने विस्तृत अर्थों में, **समावेषी षिक्षा एक उपागम है जो सभी बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ों की अधिगम आवष्यकताओं (विशेष रूप से सीमान्तता और बहिष्करण से**

प्रभावित) को पूरा करने का प्रयास करती है। यह सभी अध्येताओं पर लागू होती है। बच्चे जो अषक्त हैं अथवा नहीं, एक साथ समान पूर्व–विद्यालयी व्यवस्थाओं, विद्यालयों तथा सामुदायिक शैक्षिक व्यवस्थाओं में सहायक सेवाओं के उचित तंत्र के साथ सीखने में सक्षम होते हैं। यह केवल एक लचीली षिक्षण व्यवस्था में संभव हैं जो अध्येताओं की विविध अधिगम आवष्यकताओं को पूरा करने व उनके अनुसार अनुकूलित हो सकता है। यह व्यवस्था के सभी भागीदारों (बच्चे, माता–पिता, समुदाय, षिक्षक तथा प्रषासक, योजना निर्माता) से विविधता के साथ सुविधापूर्ण स्थिति में होने तथा इसे समस्या के स्थान पर एक चुनौती के रूप में देखने की अपेक्षा रखती है। **समावेषन, प्रत्येक बच्चे के अधिकतम संभावित सीमा तक कक्षा तथा विद्यालय में, जहाँ वह जाता है, षिक्षण हेतु एक वचनबद्धता है।** इसमें बच्चे के पास सहायक सेवाओं को ले जाना (न कि बच्चे को सहायक सेवाओं तक ले जाना) तथा बच्चे को कक्षा में होने का लाभ मिले (न कि केवल अन्य बच्चों के साथ रखा जाए) की आवष्यकता है। समावेषन के समर्थक शैक्षिक सेवा के नए रूपों के समर्थक हैं।

समावेषन के प्रत्यय, अषक्तता के क्षेत्र में हुए सामाजिक न्याय के आंदोलनों के परिणामस्वरूप विकसित हुआ, जो इस बात पर बल देता है कि विद्यालयों को ऐसे वातावरण का विकास करना चाहिए जिसमें विशेष आवष्यकताओं वाले बच्चे समुदाय के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखे जाएँ तथा उन्हें सक्षम व सकारात्मक योगदान करने के योग्य के रूप में स्वीकार किया जाए। यह समावेषन के प्रत्यय की ओर एक कदम है जो इस तथ्य पर आधारित है कि विद्यालय समुदाय के सभी बच्चों की आवष्यकताओं के अनुसार हों चाहे उनकी योग्यता या अषक्तता कैसी भी हो। षिक्षा के संदर्भ में विद्यालयों की पुनर्रचना, जिसमें समावेषन का संदर्भ निहित है, कार्य योजना के सामाजिक प्रतिमान का प्रतिबिम्बन है (मिट्टलर, 2000)।

समावेषी विद्यालय का मूलभूत सिद्धांत है कि, जहाँ तक संभव हो, सभी बच्चे एक साथ पढ़े और वह सामान्य विद्यालय अपने विद्यार्थियों की विविध आवष्यकताओं को पहचानने व पूरा करें और इन्हें पूरा करने के लिए सहायता सेवाएँ भी हों। समावेषी विद्यालय विशेष आवष्यकता वाले बच्चों व उनके साथियों में पूर्ण एकात्मकता के विकास में "सर्वाधिक प्रभावी" है।

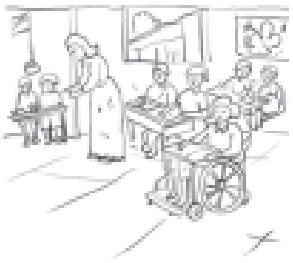

चित्र 12.1: समावेशी कक्षा

समावेषन का प्रारंभ, अलगाव का प्रत्युत्तर है। समावेषन का विचार, स्वयं में वास्तविकता से जन्मा है। हमारा समाज विविधतापूर्ण है क्योंकि हम सब अलग–अलग पृष्ठभूमि से आते हैंः हमारे खान–पान अलग हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएँ हैं, अलग–अलग प्रकार के परिवार हैं। हमारा दुनिया को समझने व इसके बारे में सोचने का नज़रिया भी अलग–अलग है।

समावेषन एक दर्षन या अवधारणा है जिसका उद्देष्य लोगों की विभिन्न जीवन शैलियों के बीच आपसी आदरभाव को बढ़ावा देना है। कोई भी संस्थान अपनी दार्षनिकता, अपनी पाठ्यचर्या और उसकी संरचना, उसमें आने वाले विभिन्न व्यक्तियों की जरूरतों के अनुसार बदलता है। यहाँ पर मध्यवर्गीय परिवेष में एक लड़की के रूप में बड़ा होना भी एक प्रकरण होगा जिसकी चर्चा सीमा की कक्षा में समावेषन के सम्बन्ध में की जाएगी।

व्यक्तियों के बीच समानताओं को देखकर समावेषन, सहनषक्ति से उपजा हुआ या फिर एकता में अनेकता का उत्सव मनाने जैसा अलंकार शब्द नहीं है। यह व्यक्ति को उसके राजनीतिक, सामाजिक–आर्थिक, धार्मिक, लैंगिक व असमर्थ परिवेष से अलग नहीं देखता।

व्यक्ति किसी समावेषित षिक्षा संस्थान में "षून्य में नहीं रहता" बल्कि एक सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ में रहता है। समावेषी, विद्यालय/महाविद्यालय ऐसा माहौल उत्पन्न करते हैं जहाँ पर

हर व्यक्ति एक–दूसरे के साथ सृजनात्मक ढंग से कार्य कर सके ताकि प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सके, सीख सके व लाभान्वित हो सके।

समावेषी विद्यालय भिन्नता को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेष देते हैं जो विभिन्न मानव जातीय समूहों, भाषा समूहों, संस्कृति, पारिवारिक स्थितियों व आर्थिक स्थितियों से आते हों और जिनकी सीखने की अलग–अलग रुचियाँ और उद्देष्य हों, जिनकी विभिन्न क्षमताएँ हों और सीखने के ढंग भी भिन्न हों।

समावेषी कक्षा में प्रत्येक बच्चे की पहुँच ज्ञान, कौषल व सूचना तक होती है जिससे सभी बच्चों की उपलब्ध विकल्प बढ़ जाते हैं और फलस्वरूप बच्चों का संबंध मात्र ज्ञानक्षेत्र तक सीमित न रह कर भावनात्मक तथा अभिवृत्तीय क्षेत्र तक पहुँच जाता है।

ऐसे सुसाध्य वातावरण में प्रत्येक बच्चा अपने आपको सुविधाजनक या उचित स्थिति में महसूस करता है। इस प्रकार का घर जैसा माहौल पैदा करना एक चुनौती है क्योंकि एक प्रतिनिधिक कक्षा की संरचना को सभी बच्चों की आवष्यकतानुसार संतुलित करना तथा उसमें उचित लचीलापन लाना एक विकट समस्या है जिस कारण अधिकांष अध्यापक कुंठा का अनुभव करते हैं। षिक्षा को इस प्रकार समावेषी बनाना वास्तव में षिक्षा के उद्देष्य का केन्द्र बिन्दु है और हमारे संवैधानिक आदर्षों, समानता, धर्मनिरपेक्षता व मानवीय अधिकारों को परिलक्षित भी करता है।

षिक्षा को केवल समाज का आइना नहीं होना चाहिए। षिक्षा की भूमिका सामाजिक परिवर्तन लाने में और उन व्यवस्थाओं को चुनौती देने की भी है जो कुछ बच्चों में भेदभाव करती है। षिक्षा को इस योग्य होना चाहिए कि वह देख सके कि वह कैसे कुछ को लाभ दे रही है और दूसरों को वंचित रख रही है। चूँकि विद्यालय समाज के अंग हैं जो विविधतापूर्ण है और बच्चे व षिक्षक सदैव एक–दूसरे से सीखते हैं। विद्यालयों में सामाजिक सम्मिश्रण की अनुमति होनी चाहिए जहाँ विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहों, योग्यताओं, लिंग, जाति, भाषा एवं धर्म के बच्चे एक साथ सीख सकें।

12.5 विशिष्ट आवष्यकताओं वाले बच्चों के समावेषन में बाधाएँ

आपने यह देखा होगा कि विद्यालय की कक्षाओं व पूर्ण समाज में व्यवधानों का जिक्र किया गया है। **समावेषन में अनगिनत व्यवधान हैं: जैसे कि वास्तुकला संबंधी, इमारतों संबंधी, परिवहन संबंधित व मनोरंजन स्थानों संबंधी।** सामान्यतः हम षिक्षा संस्थाओं का निर्माण शारीरिक रूप से स्वस्थ अध्यापकों और बच्चों को दिमाग में रखकर करते हैं जो कि दौड़–दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़कर पुस्तकालय व कक्षाओं तक पहुँच सकते हैं। यह वास्तुकला संबंधी अवरोध संभवतः हमारे समर्थ शरीर वाले लोगों की अभिवृत्तियों में पाए जाने वाले अवरोध के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अषक्तता का सामाजिक मॉडल अपेक्षित सामाजिक बदलावों पर केन्द्रित है।

समावेषी षिक्षा संबंधी बाधाओं में माता–पिता का प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण कारक है। विशिष्ट आवष्यकता वाले बच्चों के समावेषन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में कक्षा का बड़ा आकार, अधिक पाठ्यक्रम व विषयवस्तु, अषक्त बच्चों के संबंध में जागरूकता का अभाव, कठोर पाठ्यक्रम व समयसारिणी आदि है। सामान्य षिक्षकों में अषक्त व्यक्तियों के लिए बने प्रावधानों व नीतियों संबंधी अवरोध भी हैं जिसमें बच्चों के षिक्षण संबंधी नकारात्मक अभिवृत्ति परिलक्षित होती हैं। षिक्षा में उनकी भागीदारी तथा बाद में कार्य में

भागीदारों को कम ध्यान दिया जाना, निम्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, बच्चों के पालनपोषण में लिंग भेद, लड़कियों को प्रभावित करने वाली शैक्षिक अपेक्षाएँ भी प्रभावित करती हैं।

यह निम्नलिखित मदों में हो सकती हैः

दृष्टिकोणः उदाहरण के लिए; किन्हीं विशेष मानसिक लक्षणों व व्यवहारों के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण, या अंतर्निहित क्षतियों के साथ जीवन की संभावित गुणवत्ता को न समझना। भौगोलिक सीमा का उदाहरण, इस संदर्भ में पहले ही दिया गया है।

सामाजिक सहायताः सामाजिक समर्थन, अषक्तता संबंधी रूकावटों, स्रोत एवं भेदभाव इत्यादि से निपटने एवं उन्हें दूर करने में सहायता प्रदान करती है।

सूचना व स्रोत उदाहरण के तौर पर उचित माध्यमों का (जैसे ब्रैल) या स्तरों (जैसे कि आसान भाषा का प्रयोग) या फिर उन मुद्दों को शामिल करना (जिन्हें दूसरे बच्चे तो जानते ही हैं)।

भौतिक संरचना उदाहरणार्थ, इमारत में लिफ्ट या ढलान द्वारा पहुँचने की सुविधा हो।

उन कारकों में जो विशिष्ट आवष्यकता वाले बच्चों के समावेषन के लिए आवष्यक हैंः लचीला पाठ्यक्रम, कक्षा संगठन में बदलाव तथा सहायक सेवाएँ शामिल हैं। सफल समावेषन विद्यालयों की पुर्नसंरचना से संभव है जिसमें आदर्ष परिस्थितियों में लचीले अधिगम वातावरण, लचीला पाठ्यक्रम एवं अनुदेषन की अनुमति हो। षिक्षण अभ्यास में परिवर्तन, जिसमें समावेषी परिस्थितियों में परंपरागत षिक्षण विधियों से अभिनव षिक्षण विधियों में बदलाव हो। जिसमें रचनात्मक रणनीतियाँ जैसे सहयोगात्मक अधिगम, समस्या समाधान, रोल प्ले, कक्षा परिचर्या, माता–पिता का प्रषिक्षण, सकारात्मक साथी सहयोग व जुड़ाव आदि शामिल हैं। इन मुद्दों से निपटने में तकनीकी एक उपयोगी समाधान हो सकती है। उचित सूचनाएँ, ज्ञान एवं कौषलों का प्रावधान, विद्यालय प्रबंधन के निर्णय, पाठ्यक्रम नियोजन एवं संसाधनों का प्रावधान, सकारात्मक हस्तक्षेपी प्रयास व संरचनाएँ तथा अषक्त साथियों के साथ लम्बे समय तक संबंध वे तरीके हैं जो अवरोध कम कर सकते हैं। समावेषी अधिगम वातावरण के निर्माण के लिए माता–पिता के सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

अनुसंधान से पता चलता है कि समावेषन का सबसे पहला कार्य सामाजिक व शैक्षिक उद्देष्यों को साथ–साथ लाना था जिसमें न सिर्फ भिन्न आयु व भिन्न मानसिक समावेषनओं वाले बच्चे अपितु विभिन्न सामाजिक–आर्थिक व विभिन्न अनुभव परिवेष वाले बच्चों के साथ–साथ उनके परिवारों को भी बच्चों की षिक्षा में शामिल करने का कार्य था। कुछ सुधारवादी अनुसंधान तो यह कहने में एक कदम ओर आगे चले गए कि समर्थ लोगों को न कि असमर्थों (अषक्त) को समेकित करने की आवष्यकता है (जैन 2000)।

यह प्रष्न उठता है कि इस कार्य (समावेषन) के लिए षिक्षकों को कैसे प्रषिक्षित किया जाए। षिक्षकों को एक विकासात्मक संदर्भ में व्यापक योग्यताओं और व्यवहारों को समझने के अवसर दिए जाते हैं। सामान्य बच्चों को एक समावेषी संगठन या ढाँचे में शामिल करने के लिए विशेष आवष्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनषील बनाने से आरंभ होते हैं।

समावेषन से सही स्वीकरण को प्रोत्साहन या समर्थन मिलता है जो कि दया करके या ठुकराने की भावना व अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करने के कारण नहीं बल्कि उन्हें समान समझें। उन आवष्यकताओं को अपने से थोड़ी भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी घर से विद्यालय तक पहिए वाली कुर्सी में आता है तो खेल के पीरियड में उसके सहपाठी, उसकी कुर्सी धकेल कर उसे भी खेल में शामिल कर सकते हैं। शारीरिक विकास वाले खेलों जैसे फुटबाल, क्रिकेट, दौड़ने वाले खेलों में उसे स्कोर लिखने, रेफरी या अन्य कोई रोल दिया जा सकता है।

शोध से पता चलता है कि बहुत से विद्यार्थी षिक्षा के उन उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में निष्फल हो जाते हैं जब वह उन बच्चों के साथ षिक्षा ग्रहण करते हैं जो योग्यता की दृष्टि से उनसे बहुत अधिक अलग नहीं हैं। ऐसा पाया गया है कि बच्चे को जब विसंयोजित (अलगाव की) स्थितियों में रखा जाता है तो ऐसी स्थितियों में अक्सर उनकी उपलब्धि एकदम नीचे के स्तर की होती है और उसका खराब नतीजा यह होता है कि उनका आत्मबल कम हो जाता है। इसलिए यह आवष्यक है कि अपंग बच्चों को भी सामान्य कक्षाओं में दूसरे बच्चों की तरह ही प्रवेष की अनुमति हो। इस तरीके से अपंग बच्चे भी अपने लिए प्रयोग होने वाले अपमानजनक विशेषणों से बच सकेंगे और सामान्य विद्यालयी षिक्षा की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे।

शोध दर्षाते हैं कि उन विद्यालयों में जहाँ समेकन एक प्रतिमान बन गया है, बच्चों, अध्यापकों व अभिभावकों के लिए अपने से भिन्न या असमान लोगों की अन्तःक्रियाएँ और उनके प्रति सहिष्णुता बिना किसी प्रतिस्पर्धा के सहअस्तित्व के मूल्य को बढ़ाती हैं। समावेषन एक बड़े सामाजिक न्याय का विषय है जो साधारण न होकर विशेष आवष्यकता वाला है। यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता सहयोग षिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को प्रोत्साहित करता है। समावेषी षिक्षा उन अवरोधों को दूर करने पर ध्यान देती है जो किसी भी बच्चे द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। यह कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है जो मुख्यधारा में सतत् शैक्षणिक व संगठनात्मक विकासों पर निर्भर है।

अतः हमने जाना कि समावेषी विद्यालय का सबसे मूल सिद्धांत है कि सभी बच्चे साथ में सीखें, चाहें उनमें जाति, रंग, धर्म, लिंग या अषक्तता की मात्रा या अन्य अंतर या कठिनाइयाँ कैसी भी हो।

बोध प्रष्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

3) समावेषन से संबंधित कौन कौन से प्रतिरोध सामान्य हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) समावेषी विद्यालयों का सबसे बड़ा मूल सिद्धांत क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) समावेषी षिक्षा के मूल सिद्धांत लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12.6 कानून और प्रावधानों की संक्षिप्त रूपरेखा

आरंभ में यह कहना सार्थक होगा कि हमारा देष भारत, सभी को षिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। वैसे भी संविधान के 93वें संषोधन द्वारा षिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। कानून के अंतर्गत अषक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) है जो यह कहता है कि उपयुक्त सरकार व स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिष्चित करें कि प्रत्येक अषक्त बच्चा जब तक कि वह 18 वर्ष का नहीं हो जाता, उसे सही परिवेष में मुफ्त षिक्षा पाने की सुलभता हो। इस अधिनियम के परिणामस्वरूप अब अषक्त बच्चों के लिए दी गई सेवाओं या सुविधाओं को एक सुधार कार्य ही नहीं माना जाता बल्कि यह अषक्त बच्चों का अधिकार माना जाता है।

मार्च 1990 में **"सभी के लिए षिक्षा"** विषय पर जोमतेन, थाईलैंड में षिक्षा के एक ऐसे दस्तावेज की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विष्व सम्मेलन किया गया जिसमें सभी देषों की बेसिक षिक्षा की आवष्यकताओं पर विष्वव्यापी सहमति हुई। यह दस्तावेज सभी के लिए षिक्षा पर एक विष्व का घोषणापत्र था। **घोषणापत्र की धारा 3 के अंतर्गत शीर्षक है – षिक्षा की सुलभता का सर्वत्रीकरण तथा समानता को प्रोत्साहन देना।**

धारा 4 में कहा गया हैः **षिक्षा संबंधी असमानताओं को मिटाने के लिए सक्रिय प्रतिबद्धता का होना अनिवार्य है। ऐसे समूह जिन्हें मदद की आवष्यकता है जैसे – गरीब, गलियों में घूमने वाले, बालश्रमिक, ग्रामीण व दूरस्थ जगहों में रहने वाली आबादी, खानाबदोषी तथा स्थानीय (देषी) कार्यकर्ता, आदिवासी लोग, नास्तिक, जातिगत, अल्प भाषीय, युद्ध द्वारा विस्थापित, और जो कामकाजी हैं, इन किसी के साथ भी जहाँ तक षिक्षा के अवसरों तक पहुँच का प्रष्न है कोई भेदभाव न हो।"**

धारा 5: "अषक्त बच्चों की सीखने की आवष्यकताओं पर खास ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे कदम उठाने की आवष्यकता है जिनके द्वारा हर तरह की श्रेणी के अषक्त लोगों को षिक्षा की सुलभता एक शैक्षिक प्रणाली के एक अनिवार्य अंग की तरह ही वर्तमान षिक्षा प्रणाली में प्राप्त हो।

हमारे देष में **राष्ट्रीय षिक्षा नीति 1986** के अंतर्गत अषक्त बच्चों के संदर्भ में षिक्षा में समता के सिद्धांत को सुस्पष्ट रूप में अपनाया गया है। **"इसका उद्देष्य शारीरिक व मानसिक तौर पर अषक्त बच्चों को सामान्य समुदाय में एक सक्रिय भागीदार के रूप में संघटित करना है, उन्हें सामान्य विकास और वृद्धि के लिए तैयार करना है और उन्हें इस योग्य बनाना है कि वह जीवन को हिम्मत और साहस के साथ व्यतीत करें।"**

यद्यपि केन्द्र सरकार ने सन् 1974 में **अषक्तों के लिए एक षिक्षा योजना** प्रायोजित की थी लेकिन इसमें उतनी उन्नति नहीं हुई जितनी अपेक्षा थी क्योंकि इसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त ऐसे सभी कार्यक्रमों की अभाव पाया गया जिनके द्वारा अध्यापकों व विद्यालय–प्रमुखों को अषक्त बच्चों की आवष्यकताओं के बारे में अनुकूलन या जानकारी दी जा सके।

सन् 1987 में एक बार फिर **अषक्त बच्चों के लिए समेकित षिक्षा परियोजना** का प्रारंभ किया गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय षिक्षा नीति में अपंग बच्चों के लिए जो प्रावधान रखे गए थे उनको पूरा करने के लिए इसमें कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो सके, गामक (पेषीय) अपंगता एवम् अन्य क्षीण अपंगता वाले बच्चों की षिक्षा दूसरे बच्चों के साथ–साथ हो। राष्ट्रीय षिक्षा नीति के उद्धरण के अनुसार समेकन सूचकों के अनुसार अपंग और सामान्य लोगों के अधिकार एक समान हैं इसलिए उनको भी वृद्धि और विकास की वैसी ही परिवेषीय स्थितियाँ मिलनी चाहिए जो शेष सबको उपलब्ध हैं। उन्हें भी जीवन का दूसरे सभी नागरिकों की तरह दर्जा मिलना चाहिए और साथ ही साथ संप्रदाय या समुदाय में बराबर के भागीदार होने का अवसर मिलना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, दूसरी आवाज अषक्त बच्चों की ओर से बच्चों के अधिकारों पर उठाई गई जिसे संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने 20 नवम्बर 1989 को स्वीकार किया और 11 दिसम्बर 1992 को भारत सरकार ने भी मंजूर कर लिया। धारा 23 में एक शपथ है जिसे राज्यों ने भी राज्य के अपने संविधान में पैरा 3 के रूप में मिला लिया है:

"अषक्त बच्चों की विशेष जरूरतों को महत्व देते हुए, दी जाने वाली सहायता का प्रावधान यह सुनिष्चित करें कि अषक्त बच्चे तक षिक्षा की प्रभावी पहुँच हो और उसे षिक्षा मिल रही हो। उसे प्रषिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएँ, पुनर्वास सेवाएँ व मनोरंजन के अवसर भी इस ढंग से मिल रहे हैं जैसे कि वे चाहते हैं, उन्हें उपलब्ध हो रही हैं जो उसे भविष्य में रोजगार के लिए तैयार कर रही हों और उनके द्वारा उसे भावनात्मक, सांस्कृतिक व व्यक्तिगत विकास तथा पूर्ण सामाजिक संघटन मिल सके।"

अषक्तता वाले लोगों (समान अवसर व अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में एक नीति दस्तावेज बनाया गया जिसमें (राष्ट्रीय नीति अषक्त बच्चों के लिए) एक धारा षिक्षा से संबंधित है। यह दस्तावेज बताता है कि षिक्षा ही एक ऐसा प्रभावी वाहन है जिससे सामाजिक व आर्थिक सषक्तिकरण होता है।

"संविधान के अनुच्छेद 21ए की भावना को ध्यान में रखते हुए षिक्षा की गारंटी को संविधान में एक मूल अधिकार माना गया है और अपंग बच्चों के अधिनियम 1995 के भाग 26 में मुफ्त

व अनिवार्य षिक्षा, सभी अपंग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक देने का प्रावधान है। जनगणना 2001 के अनुसार 51 प्रतिषत अपंग बच्चे अषिक्षित हैं। अषिक्षित अषक्तों का यह एक बहुत बड़ा प्रतिषत है।"

यह सामान्य षिक्षण व्यवस्था में समावेषी षिक्षा द्वारा अषक्त व्यक्तियों के मुख्यधारा में समावेषन की आवष्यकताओं को पहचानता है। उच्च षिक्षा में, इसके तीन आधारतत्व हैंः छात्रवृत्ति, व्यावसायिक षिक्षा एवं "अषक्त व्यक्तियों को विष्वविद्यालय, तकनीकी संस्थानों एवं उच्च षिक्षा के अन्य संस्थानों में उच्च एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए अवसर दिए जाएँ।"

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रषिक्षण परिषद, नई दिल्ली, का नवीन पाठ्यक्रम इन बिन्दुओं को स्वीकार करता है और विशिष्ट आवष्यकता वाले बच्चों से संबंधित पाठों को पाठ्यपुस्तकों में उचित स्थान दिया गया है। पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों के कुछ उदाहरण हैं – नन्दिता मुम्बई जाती है (कक्षा पाँचवीं), छोटू का घर (कक्षा तीसरी), चुस्किट विद्यालय जाती है (कक्षा चौथी)। नई पाठ्यपुस्तकों में सीमांतता के मुद्दें को कक्षा के केन्द्र में लाया गया है तथा षिक्षकों को इन विषयों पर कक्षा में विचार–विमर्ष प्रारंभ करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

षिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) एक ऐतिहासिक अधिनियम है जो यह स्पष्ट रूप से दर्षाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक स्तर तक मुफ्त व अनिवार्य षिक्षा देना केन्द्र या राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहों का आपस में सामाजिक मेल का भी प्रावधान है जिससे ग़ैर–सरकारी विद्यालयों में भी आर्थिक रंगभेद को मिटाया जा सकता है। इसी अधिनियम में उन असमर्थ बच्चों को भी शामिल किया गया है जिन्हें 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त व अनिवार्य षिक्षा का अधिकार है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत विशेष बच्चों को सामान्य कक्षाओं में रखना एक नागरिक अधिकार है। सभी विद्यालयों को पूरी तरह से सभी अषक्त बच्चों को शामिल करने के लिए उपर्युक्त बनाना चाहिए।

बोध प्रष्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

6) क्या षिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 समावेषन को प्रोत्साहित करता है? कैसे? ऐसे सभी अधिनियमों को पढ़कर अपने विचार नीचे दिए गए स्थान में लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12.7 विशेष षिक्षाः समेकन–समावेषन

विशिष्ट षिक्षा, विशेष आवष्यकता वाले बच्चों के लिए वैयक्तिक षिक्षा है। विशिष्ट षिक्षा का अर्थ है **"विशेष रूप से नियोजित अनुदेषन, जो विशेष आवष्यकता वाले बच्चों की अभिनव आवष्यकताओं को पूरा करें जिसमें कक्षा में, घर, अस्पताल एवं संस्थानों व अन्य परिस्थितियों में दिया गया अनुदेषन सम्मिलित है।"**

यह इस पूर्वानमान पर आधारित है कि विशिष्ट आवष्यकता वाले बच्चों की षिक्षा में विशेष तकनीकियों या संसाधन सहायता के रूप में सहायक सेवाओं की आवष्यकता होती है। जिसे अक्षम बच्चों के षिक्षण की तैयारी या विशिष्ट प्रषिक्षण प्राप्त हो, वे भी विशिष्ट कक्षा षिक्षक के साथ अपने विशिष्ट कौषल व योग्यताओं को बाँटकर मिलजुलकर कार्य कर सकते हैं।

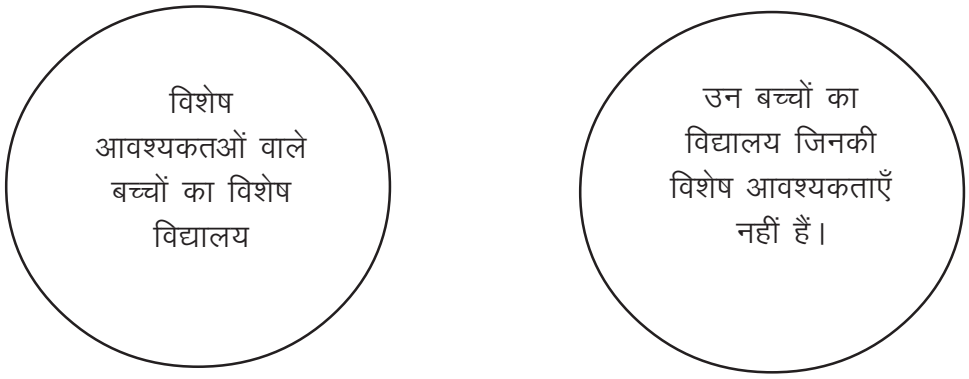

चित्र 12.2 : विशेष और मुख्य विद्यालय पद्धतियों का वर्त्तमान में संबंध

समेकित षिक्षा से अभिप्राय सामान्य और विशेष आवष्यकताओं वाले बच्चों को साथ लाकर एक साथ षिक्षा उपलब्ध कराना है। ऐसी षिक्षा में प्रषिक्षित विशेष अध्यापकों की सहायता द्वारा कुछ षैक्षिक अनुभवों के लिए दोनों प्रकार के बच्चों को एक साथ लाया जाता है। उदाहरणतः बच्चे स्थानिक समेकन के लिए उसी विद्यालय में आते हैं जहाँ पर विशेष आवष्यकताओं वाले बच्चे तथा सामान्य बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ाते हैं। दूसरी तरह का समेकन बच्चों में सामाजिक व बौद्धिक स्तर का भी हो सकता है। चित्र में ढका हुआ भाग उस क्षेत्र को दिखाता है जहाँ समेकन हुआ है।

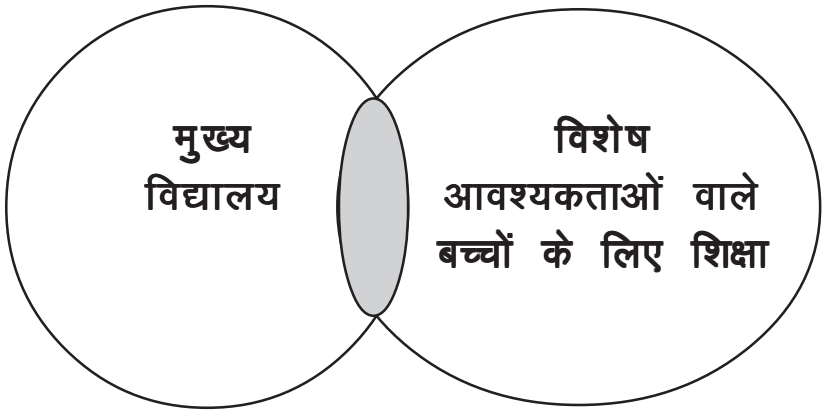

चित्र 12.3: समेकित शिक्षा

समावेषी षिक्षा का अर्थ सभी बच्चों की शैक्षिक आवष्यकताओं (उनकी क्षमता या अषक्तता की परवाह किए बिना) को पूरा करने के लिए प्रभावी कक्षा वातावरण का निर्माण है। यह एक उपागम है जो सभी बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ों को अधिगम आवष्यकताओं, विशेष रूप से जो सीमांतता का बहिष्करण से प्रभावित है, को पूरा करने का प्रयास करती है। विद्यालय वातावरण तथा पाठ्यक्रम में ऐसे परिवर्तन जो जाति, प्रजाति, धर्म या योग्यता व अषक्तता की श्रेणी की परवाह किए बिना सभी बच्चों की आवष्यकताओं को पूरा करते हैं।

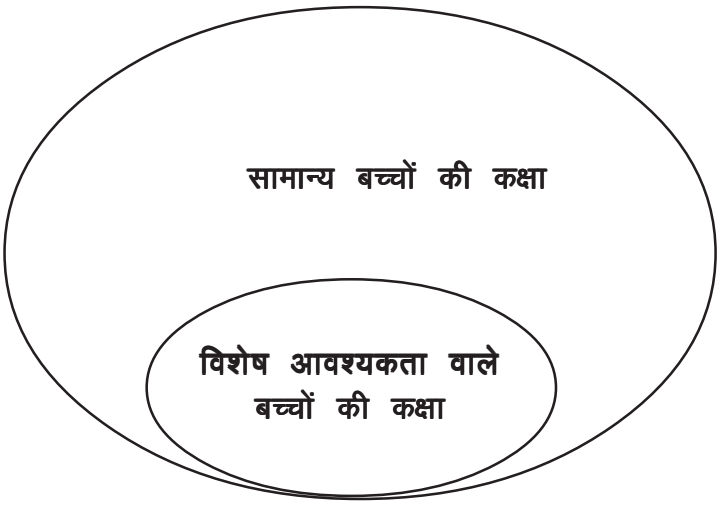

चित्र 12.4: समावेशी शिक्षा

सामाजिक एवं शैक्षिक उपादेयताओं के संबंध में हमें **मुख्यधारा, समेकन व समावेषन** जैसे प्रत्ययों को समझना होगा। केवल पिछले दो दषकों से ही हम मुख्यधारा, कम अवरोधी वातावरण, समेकन की बात कर रहे हैं। फ्रैक वॉऊ ने अपनी पुस्तक "मेकिंग इन्क्लूसन वर्क" में **"समावेषन एवं पूर्ण समावेषन"** में अंतर पर बल दिया है। वॉऊ ने कहा है कि अधिकांष अषक्त युवाओं तथा बच्चों के लिए पूर्ण समावेषन के स्थान पर समावेषन ज्यादा प्रभावी तरीका है। वह यह इंगित करता है कि कुछ बच्चों के लिए, जो जटिलतम ऑटिस्म स्पेक्ट्रम अनियमितता या मानसिक मंदता से ग्रसित है तथा जो बधिर या बहुअक्षमता वाले हैं, सामान्य समावेषन भी उपयुक्त षिक्षा प्रदान नहीं कर सकता।

12.7.1 चिकित्सकीय बनाम सामाजिक प्रतिमान

चिकित्सकीय प्रतिमान अषक्तता या विशिष्ट आवष्यकता वाले बच्चों को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है, जिसे समस्या समाधान के लिए चिकित्सकीय उपचार की आवष्यकता है। अर्थात् किसी विशेषज्ञ द्वारा उपचार किए जाने की आवष्यकता है। यह विशिष्ट आवष्यकताओं को वैयक्तिक कमियों के रूप में देखता है, जिसमें सुधार की आवष्यकता है। इसका अर्थ यह है कि दूसरों की तरह सामान्य होने के लिए विशेष आवष्यकता वाले व्यक्तियों को दवाओं या चमत्कार द्वारा इलाज की आवष्यकता है। उन्हें, सुरक्षित, विशिष्ट विद्यालयों में रखा जाना चाहिए। **मुख्यधारा के विद्यालय से उन्हें वंचित रखना तथा समाज में अषक्तता के आधार पर भेदभाव, असमानता का एक उदाहरण है।** दूसरी ओर विशिष्ट आवष्यकता वाले बच्चों का सामाजिक प्रतिमान इसे समाज द्वारा जन्म दी गई एक समस्या के रूप में देखता है। विशिष्ट आवष्यकता वाले बच्चे को कक्षा में भाग लेना चाहिए। यदि उसे कक्षा में भागीदारी में असुविधा होती है तो इसका कारण उसकी अषक्तता नहीं है वरन् विद्यालय का स्वयं को विशिष्ट आवष्यकता वाले बच्चों के लिए सुविधाजनक नहीं बना पाना है।

हाल ही में चर्चा के दौरान अषक्तता को एक रोग की अवस्था न मानकर एक सामाजिक श्रेणी के तौर पर माना गया है। **अषक्तता का सामाजिक प्रतिमान** तो यह सुझाव देता है कि समाज द्वारा (जाने अनजाने) किए गए बहिष्कार, अवरोध व पूर्वग्रह ही ऐसे अंतिम कारण हैं जो परिभाषित करते हैं कि कौन अषक्त है या कौन विशेष समाज का भाग नहीं है। इस प्रतिमान की यह धारणा है कि कुछ व्यक्ति सांख्यिकीय मानदंडों के आधार पर शारीरिक या मनोवैज्ञानिक आधार पर भिन्न होते हैं पर वे कभी–कभी एक क्षति तक ही सीमित हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तिय अषक्त की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होंगे, यदि समाज इन क्षतिग्रस्त बच्चों को भी अपने में उसी तरह शामिल करे जैसे कि यह सामान्य बच्चों को करता है। इस विचारधारा की उत्पत्ति को 1960 के दषक में नागरिक अधिकार व मानव अधिकार आंदोलनों में देखा जा सकता है, जबकि यह विशेष शब्दावली इंग्लैंड में 1980 में उभरी थी। सामाजिक प्रतिमान का मूलभूत पहलू समानता से संबंध रखता है। समानता के लिए किए गए संघर्ष की अक्सर दूसरे सामाजिक सीमांतित समूहों के संघर्षों से तुलना की जाती है। समान अधिकार निर्णय ले सकने की क्षमता का विकास करते हैं व हिम्मत का अहसास कराते हैं और जीवन को पूर्ण रूप में जीने के अवसर प्रदान करते हैं। आप ने अषक्त व्यक्तियों को कहते सुना होगा, "हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे बिना कुछ नहीं। ''इसलिए यह आवष्यक है कि उन्हें भी कानून बनाने, नियम बनाने, पाठ्यचर्या बनाने, विद्यालयों की रूपरेखा बनाने इत्यादि में भागीदार बनाया जाए।

12.7.2 एक विद्यालय समावेषन हेतु कैसे तैयार होता है?

आपको यह जिज्ञासा होगी कि एक विद्यालय कैसे समावेषी बनता है? इसके लिए कुछ इस प्रकार के प्रयास हो सकते हैंः

- **बच्चों की आवष्यकताओं व योग्यताओं की विविधताओं को महत्व देना** – जिसमें उनके सीखने के तरीकों और सीखने के स्थानों की विभिन्नता को भी शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी पारिवारिक, धार्मिक समूहों, सांस्कृतिक परिवेषों, भाषा, सामाजिक व आर्थिक स्थितियों को भी महत्व दिया जाता है।

- **ऐसे सीखने के तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जो सभी बच्चों के लिए उचित हैं** और साथ ही साथ पाठ्यचर्या में सीखने के विधियों व पाठ्यसामग्री में भी बदलाव किया जा सकता है।

- इसके अलावा संवैधानिक मूल्यों के आधार पर सभी व्यक्तियों की पहचान और उन्हें आदर देना चाहिए।

- **अभिगम्यता (Access)/पहुँचः** हर बच्चे की षिक्षा तक पहुँच के लिए सभी तरह की बाधाओं को दूर करना चाहे वे भवन, संसाधन या व्यवहार संबंधित हों। सभी बच्चों को बराबर ज्ञान व जीवन मूल्यों को चुनने का अवसर देने की कोषिष करनी चाहिए।

- **सहयोगी अधिगम परिवेषः** विद्यालय एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर बच्चों और अध्यापकों के बीच आपसी स्पर्धा की बजाय सहयोगी व्यवहार पर जोर देना चाहिए। इससे सीखने का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण पैदा होता है।

- **समुदाय के साथ कार्य करनाः** विद्यालय को समुदाय के साथ व बच्चों के अभिभावकों के पास जाकर उन्हें भी उनके बच्चों के विकास व सिखाने की गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। विद्यालयों की सिखाने की क्रिया में समुदाय एक बहुत बड़ा स्रोत भी है।

- **कठोर बंधनों को तोड़नाः** विद्यालयों के पास सीमित औपचारिक विचार और परिपाटियाँ होती हैं। अगर लचीलापन विकसित कर दिया जाए तो कक्षाओं व सीखने–सिखाने की क्रिया को बच्चे की आवष्यकता अनुसार बनाया जा सकता है।

- **प्रोत्साहित करने वाला परिवेष उत्पन्न करनाः** विद्यालय में ऐसा परिवेष बनाने की आवष्यकता है जो अध्यापकों और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करे। उदाहरण के तौर पर अच्छा स्रोत केन्द्र विभिन्न प्रकार की सामग्री विद्यालय में ला सकता है। इस सामग्री का प्रयोग विभिन्न प्रकार के बच्चों तक अधिगम को प्रभावी बनाने में किया जाए। यह तो आपको पता ही होगा कि बच्चे सुनने की बजाय क्रियाकलापों और वस्तुओं को व सामग्री को छूकर, देखकर या सुनकर बेहतर तरीके से सीखते हैं।

12.8 समावेषी कक्षा में अध्यापक की भूमिका

- विशिष्ट आवष्यकताओं वाले बच्चों को एक ऐसे संसार में रखिए जहाँ न्यूनतम बाह्य विकर्षण हो, एवं जहाँ षिक्षक सरलता से पता लगा सके कि बच्चा सचेत है।

- विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाएँ जिससे बच्चे आगे बढ़ सकें। कक्षा को दिनचर्या को बच्चों को आगे बढ़ाने हेतु परिवर्तित करें तथा समय–समय पर कक्षा में भ्रमण करें। शारीरिक गतिषीलता बच्चों के ध्यान को केन्द्रित करने में मदद करती है।

- जितना अधिक संभव हो, संरचित दिनचर्या प्रदान करें। एक दिनचर्या स्थापित करें और इसे अगले दिन भी समान रखें।

- एक दैनिक दत्तकार्य अभ्यासपुस्तिका रखें। यह गतिविधि विशिष्ट आवष्यकताओं वाले बच्चों को अपना समय इस प्रकार निर्धारित करने में मदद करेगी कि उन्हें क्या करना है और कब तक इसे पूरा करना है?

- विशिष्ट आवष्यकताओं वाले बच्चों की आवष्यकता के अनुरूप अतिरिक्त समय दें। और जितना शीघ्र संभव हो, पूरे किए गए कार्य पर प्रतिपुष्टि दें। कम्प्यूटर, कलकुलेटर, प्रोजेक्टर आदि अधिगम सहायक सामग्रियों का प्रयोग करें।

- कुछ ऐसा कार्य ढूँढ़ें जो विद्यार्थी अच्छा करता है तथा उस रुचि को प्रोत्साहित करें।

- पर्याप्त सराहना व पुरस्कार दें।

- समावेषी षिक्षा की ओर षिक्षक की अभिवृत्ति धनात्मक होनी चाहिए।

बोध प्रष्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) समावेषी षिक्षा समेकित षिक्षा से किन रूपों में भिन्न है? विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए?

.....

.....

.....

.....

12.9 विशेष आवष्यकता वाले बच्चों की आवष्यकताएँ

विशिष्ट आवष्यकताओं के स्तर एवं श्रेणी के आधार पर विभिन्न प्रकार हैं। इन्हें निम्नांकित रूप से प्रदर्षित किया गया है।

12.9.1 दृष्टि बाधित बच्चों की विशेष आवष्यकताएँ

दृष्टि बाधित बच्चे वस्तुओं को उतने अच्छे ढंग से तथा साफ–साफ नहीं देख सकते जिस तरह सामान्य या 6/6 दृष्टि वाले बच्चे। ऐसे बच्चों को विद्यालय जाने में सहायता चाहिए। कम दृष्टिबाधिता वाले कुछ बच्चों को बड़े व स्पष्ट आकार के शब्दों वाली पुस्तकों या ब्रेल लिपि में सामग्री की आवश्यकता होती है।

दृष्टिबाधित बच्चों को शामिल करने के लिए कक्षा में कैसे बदलाव ला सकते हैं?

यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके दिए हैं जिनके द्वारा हमें विद्यालय को समावेषी बनाने में सहायता कर सकते हैं:

- कक्षा के कमरे रोषनीदार हों ताकि सभी बच्चे सूचनापट्ट अध्यापक व श्यामपट्ट को भली–भाँति देख सकें।
- दरवाजे व फर्नीचर के किनारे धारदार व नुकीले न हों। फर्नीचर की कीलें अनावष्यक रूप से आगे न निकली हों।
- जब लोग आपस में बातचीत करें तो यह पहले बताएँ कि वे कौन हैं, उनका नाम क्या है? इससे दृष्टिबाधित बच्चों को उस व्यक्ति को पहचानने में आसानी हो जाती है जिससे वे बातचीत कर रहे हैं।
- बच्चों के लिए उपयुक्त अधिगम संबंधित सहायक सामग्री होनी चाहिए जिसे बच्चे सुनकर, छूकर और महसूस करके समझ सकें। उदाहरण के लिए, यदि कक्षा में भोजन विषय पर चर्चा है तो यह एक मसालों से भरा डिब्बा हो सकता है, विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ या फल हो सकते हैं, या उनके मॉडल हो सकते हैं या पुस्तकों की ऑडियो टेप हो सकती है। विभिन्न पक्षियों की आवाजों की रिकार्डिंग भी प्रयोग में लाई जा सकती है या विभिन्न आकृति वाले डिब्बे भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं।
- एक अध्यापक के लिए यह आवष्यक है कि वह जो भी लिखे, उसे ऊँची आवाज में पढ़ा जाना चाहिए ताकि दृष्टिबाधित बच्चे अपने आपको समूह का हिस्सा समझें।
- ऐसी कक्षा में अधिक कार्य छोटे समूहों या वर्गों में किया जाए जहाँ पर बच्चों को स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अलग–अलग भूमिका दी जाए।
- विद्यालय में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए।
- षिक्षा संसाधनों को ब्रेल लिपि में होना चाहिए और दृष्टि बाधित बच्चों को उनके प्रयोग के लिए अधिक समय देना चाहिए।
- सभी बच्चों को अपनी समस्याओं के निदान के लिए षिक्षा को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ना और वाद–विवाद को बढ़ावा देना चाहिए।

- समावेषी षिक्षा के परिवेष में विभिन्न शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाना चाहिए जैसे कि संकेतवाचक छोटे सामूहिक कार्य, छूना और समझना।
- प्रत्येक अध्यापक को विशेष षिक्षा संबंधित प्रषिक्षण देना चाहिए। किसी भी विद्यालय को समावेषी बनाने के लिए यह अति आवष्यक है।
- अभिनवन एवं गतिषीलता में सहायता
- बहुसंवेदी प्रषिक्षण

12.9.2 श्रवण दोषयुक्त बच्चों की विशेषताएँ

श्रवण दोषयुक्त बच्चे उचित प्रकार सुन नहीं पाते। उनमें से कुछ में आंषिक श्रवण दोष होता है। वे श्रवण यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। उनमें से कुछ बोलने व संप्रेषण में भी अक्षम हो सकते हैं और उनका सभांषण अस्पष्ट हो सकता है या वे ऊँचा सुनते हैं। इसके लिए सांकेतिक भाषा में संप्रेषण अनिवार्य हो जाता है।

- सांकेतिक भाषा में प्रषिक्षण की आवष्यकता
- बहुसंवेदी प्रषिक्षण की आवष्यकता
- श्रवण यंत्रों के प्रयोग में सहायता
- संभाषण सुधारने हेतु प्रषिक्षण
- श्रवण सुधारने हेतु प्रशिक्षण
- संपूर्ण संप्रेषण का प्रषिक्षण

12.9.3 मानसिक मंदता वाले बच्चों की आवष्यकताएँ

बहुत से बच्चों में यह देखा गया है कि औसत से कम बुद्धि होने के कारण वे शारीरिक व मानसिक क्रियाएँ करने में मंद होते हैं। सामान्यतः वे सामान्य आकार नहीं पहचान पाते तथा चित्रकला, पेन्टिंग और हस्तलेखन जैसी सूक्ष्म गामक क्रियाएँ करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। वे किसी गतिविधि पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते तथा अपनी आयु के समूह में सामूहिक क्रियाओं तथा खेल में भाग लेने में असमर्थ होते हैं। सामान्यतः ऐसे बच्चे, अपने से छोटे बच्चों के साथ बैठना पसंद करते हैं तथा गतिविधियों में भाग लेने से बचते हैं या संकोच करते हैं।

- विभिन्न आकारों को पहचानने में सहायता
- मानसिक व शारीरिक गतिविधियों में सुधार हेतु प्रषिक्षण
- शारीरिक व्यायाम
- सूक्ष्म गामक कौषलों में सुधार हेतु प्रषिक्षण
- सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने का प्रषिक्षण
- अपनी आयु के साथियों के साथ खेल में भाग लेने को प्रोत्साहन

12.9.4 गतिषीलन अक्षमता वाले बच्चों की आवष्यकताएँ

सामान्यतः ऐसे बच्चों में शारीरिक गतिषीलता नहीं होती या उनका उस पर नियंत्रण नहीं होता तथा उनकी माँसपेषियों में तनाव व जड़ता व्यापक रूप से पाई जाती है। उनकी आवष्यकताएँ हैं:

- शारीरिक गतिषीलन व नियंत्रण में सहायता
- चलने में सहायता
- कक्षा में बैठने का उचित प्रबंध
- दैनिक जीवन की गतिविधियों में सहायता
- बैठने ओर खड़े होने में सहायता
- सकल गतिषीलन क्रियाओं का प्रषिक्षण
- शारीरिक व्यायाम

12.9.5 अधिगम अषक्त बच्चों की विशेषताएँ

अधिगम अषक्त बच्चों की बुद्धि, सामान्य बच्चों की बुद्धि के समान, कम या अधिक हो सकती है। ऐसे बच्चे कुछ शब्दों और संख्याओं को पढ़ने या उनका प्रतिबिम्ब पहचानने में कठिनाई अनुभव करते हैं। आपने पूर्व–विद्यालयी या निम्न प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को सामान्य गलतियाँ करते देखा होंगा। सामान्य बच्चे जैसे–जैसे बड़े होते हैं, इसमें सुधार आ जाता है परंतु यदि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी ये गलतियाँ विद्यमान रहें, तो इसे अधिगम अषक्तता का लक्षण माना जाता है। कई बार वे वह b को शायद d पढ़ते हैं या 6 को 9 पढ़ते हैं या p को q लिखते हैं या गिनती करते समय समझ नहीं पाते कि अंकों को सीधे या उल्टे कैसे जोड़े जैसे 69 को 96। ऐसे बच्चे सामान्यतः अपने काम पर ध्यान नहीं देते, बिना सोचे समझे ही प्रतिक्रिया देते हैं, जल्दी परेषान हो जाते हैं, और सीखने में असुविधा अनुभव करते हैं, या लम्बे समय तक लगातार काम नहीं कर पाते, जल्दी–जल्दी मनोदषा में बदलाव प्रदर्षित करते हैं तथा >, <, –, +, = आदि संकेतों में भ्रमित हो जाते हैं। हासिल वाले जोड़ या घटाने के प्रष्न हल नहीं कर पाते। वे ऊपर, नीचे, दाएँ, बाएँ, की दिषा नहीं समझ पाते तथा कक्षा में हो रही इन्हीं कठिनाइयों के कारण वे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं।

हमें ऐसे किसी भी संकेत को देखकर यह सुनिष्चित करने से पहले, कि बच्चा अधिगम अषक्तता से ग्रस्त है सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसी बहुत सी समस्याएँ बच्चों के सामने तब भी आती हैं जब वे सीखना शुरु ही करते हैं और उनका विकास हो रहा होता है। किसी बच्चे में यदि काफी समय तक यह समस्याएँ महसूस की जाएँ तब हम कह सकते हैं कि बच्चे में सीखने संबंधी अषक्तता हो सकती है। एक प्रषिक्षित चिकित्सक की सलाह बच्चे की समस्याओं को पहचानने में और उसको अपनी समस्याओं से निपटने में सहायक होगी।

सीखने की आवष्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में शामिल करने के लिए कक्षा में कैसे और क्या बदलाव लाया जाना चाहिए।

एक अध्यापक के लिए आवष्यक है कि सीखने की अषक्तता वाले बच्चों को भी सीखने के बराबर अवसर दें। यह जरूरी है कि हम उनकी विशेष आवष्यकताओं को नजरअंदाज न करें और उनकी जरूरतों को यथासंभव पूरा करने की कोषिष करें और उनकी हिम्मत को बढ़ाएँ।

अगर आपकी विद्यालय प्रणाली लचीली है और यह बच्चों को अपने–अपने विषय क्षेत्र चुनने की अनुमति देती है तो अधिगम अषक्त वाले बच्चे भी वह क्षेत्र चुन सकते हैं जिनमें उन्हें आसानी लगती है।

अध्यापकों को सभी तरह के बच्चों तथा सीखने की अषक्तता वाले बच्चों को भी मदद करने का प्रषिक्षण दिया जाना चाहिए। एक आसान तरीका है निर्देषों को बार–बार दोहराना। उदाहरणतः अगर प्राथमिक कक्षाओं में निर्देषों को स्पष्ट रूप से तीन–तीन बार दोहराया जाए तो इससे सभी बच्चों को सहायता मिलती है। मुक्त व लचीली विद्यालय प्रणाली जो अषक्तता को सवेदनषील ढंग से समझती है उसमें पाठ्यचर्या तीन प्रकार की हो सकती है:

- व्यक्तिगत पाठ्यचर्या जो बच्चों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित हो;
- विकासषील पाठ्यचर्या जो बच्चों की आयु संबंधित आवष्यकताओं के आधार पर तैयार की गई हो; और
- सीखने वाली पाठ्यचर्या जो उन्हें अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ाएँ।

आप एक अध्यापक हैं, आपको इन तीनों को अदलबदल कर प्रयोग में लाने की कला सीखने की आवष्यकता है।

- उन सांवेगिक–मनोवैज्ञानिक कौषलों के विकास के क्रमबद्ध प्रयास, जो अधिगम अषक्त बच्चों में कम होते हैं।
- उन बच्चों को निर्देषन एवं परामर्ष
- अधिगम अषक्त बच्चों के माता–पिता को निर्देषन एवं परामर्ष
- अतिक्रियाषीलता तथा अन्य व्यावहारिक समस्याओं से निपटने के लिए व्यवहार परिवर्तन तकनीकियाँ
- बहु–संवेदी अनुकरण का प्रषिक्षण

बोध प्रष्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

8) रघुबीर एक शारीरिक गति असमर्थता (Locomotor Disability) वाला बच्चा है? उसकी विशेष आवष्यकताएँ क्या हो सकती हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9) रीना एक मानसिक मंद बच्ची है। उसकी विशिष्ट आवष्यकताएँ क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10) करीम एक श्रवणबाधित बच्चा है, उसकी आवष्यकताएँ क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11) गुरविन्दर, एक अधिगम निर्योग्य बच्चा है उसकी विशेष आवष्यकताएँ क्या होगी?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12.10 सारांष

इस इकाई में हमने बच्चों की विभिन्न आवष्यकताओं के बारे में पढ़ा तथा यह समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से बच्चों की विविध आवष्यकताओं की एक कक्षा में पूर्ति की जा सकती है। इस संदर्भ में हमने समावेषन एवं समेकन के बारे में जाना। समावेषन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा समावेषन के लिए विद्यमान कानूनों एवं प्रावधानों की समीक्षा की गई। वर्तमान सामाजिक–षैक्षिक संदर्भ में विशेष आवष्यकताओं वाले बच्चों का सामान्य विद्यालयों में समावेषन किया जाना समय की मांग है क्योंकि इसी की सहायता से हम विशेष आवष्यकताओं वाले बच्चों को समाज के विकास की मुख्यधारा में जोड़ सकते हैं और सभी के लिए षिक्षा के उद्देष्यों को प्राप्त कर सकते है।

12.11 अभ्यास के लिए प्रश्न

1) अपने विद्यालय में प्रारंभिक स्तर पर दाखिला लिए हुए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कीजिए। इनके कक्षा अध्यापकों से साक्षात्कार कीजिए कि इनकी षिक्षा हेतु विद्यालय ने समावेषन के लिए क्या कदम उठाए हैं? एक रिपोर्ट तैयार कीजिए जिसमें आप निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल कर सकते हैंः

   1) विशेष आवष्यकता वाले बच्चों की संख्या
   2) विशेष आवष्यकता वाले बच्चों के प्रकार
   3) विद्यालय में समावेषन हेतु उठाए गए कदम
   4) कक्षा में अध्यापक द्वारा षिक्षण में लचीलापन लाने हेतु उठाए गए कदम
   5) माता–पिता के ऐसे बच्चों की षिक्षा के बारे में विचार

2) अपने विद्यालय में अध्यापक–अभिभावक संघ की बैठक में 'समावेषी षिक्षाः हमारे विद्यालय के परिपेक्ष्य में' विषय पर चर्चा कीजिए। इनमें निम्नलिखित बिन्दु शामिल होंः

   i) समावेषन के प्रमुख पक्ष
   ii) आपके विद्यालय द्वारा इस दिषा में किए गए प्रयास

3) अपने अध्ययन केन्द्र पर "समावेषी षिक्षाः एक प्रयास" पर एक चिंतन बैठक का आयोजन करें।

4) 'एक विशेष आवष्यकता वाले बच्चे के सामान्य बच्चों के साथ समावेषन में अध्यापकों और अभिभावकों की भूमिका'' पर एक लघु सम्मेलन का आयोजन करें और रिपोर्ट तैयार करें।

12.12 बोध प्रष्नों के उत्तर

1) क्षति, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या संरचनात्मक कमी या शारीरिक कार्यों में असामान्यता है।

   अषक्तता, किसी कार्य को उस रूप में कर पाने की क्षमता में कमी या रुकावट (किसी दुर्बलता के कारण) है, जिस रूप में सामान्य मनुष्य कर सकता है।

   अपंगता, किसी व्यक्ति की वह प्रतिकूलतम परिस्थिति है जो दुर्बलता या अषक्तता के कारण जन्म लेती हैं और उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका के निर्वहन से रोकती है (आयु, लिंग, सामाजिक–सांस्कृतिक कारक आदि पर निर्भर)। दूसरे शब्दों में दुर्बलता को अषक्तता में बदलने और अषक्त से अक्षम होने को रोकना संभव है।

2) विशिष्ट षिक्षा, विशिष्ट आवष्यकता वाले बच्चों की वैयक्तिक षिक्षा है। विशिष्ट षिक्षा का अर्थ है "विशिष्ट प्रकार से निर्धारित अनुदेषन जो विशिष्ट आवष्यकता वाले बच्चों की अभिनव आवष्यकताओं को कक्षा के अनुदेषन, घर, संस्थान तथा शारीरिक षिक्षा के अन्य परिस्थितियों में पूरा करें।"

3) समावेषन में अनगिनत व्यवधान हैंः जैसे कि वास्तुकला संबंधी, इमारतों संबंधी, परिवहन संबंधित व मनोरंजन स्थानों संबंधी।

4) समावेषी विद्यालयों का सबसे बड़ा सिद्धांत विभिन्न जीवन शैलियों के बीच आपसी आदरभाव को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत कोई भी संस्था अपनी दार्षनिकता अपनी पाठ्यचर्या और अपनी संरचना उसमें आने वाले व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार बदलती है।

   समावेषी विद्यालय भिन्नता को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेष देते हैं जो विभिन्न मानव जातीय समूहों, भाषा समूहों, संस्कृति, पारिवारिक स्थितियों व आर्थिक स्थितियों से आते हों और जिनकी सीखने की अलग–अलग रुचियाँ और उद्देष्य हों, जिनकी विभिन्न क्षमताएँ हों और सीखने के ढंग भी भिन्न हों।

5) समावेषी षिक्षा का मूल सिद्धांत हैं कि सभी बच्चे जाति, रंग, भाषा, लिंग या अषक्तता की श्रेणी या अन्य अंतरों पर ध्यान दिए बिना, साथ–साथ सीखें।

6) षिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) एक ऐतिहासिक अधिनियम है जो यह स्पष्ट रूप से दर्षाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक स्तर तक निःशुल्क व अनिवार्य षिक्षा देना केन्द्र या राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहों का आपस में सामाजिक सहयोग का भी प्रावधान है जिससे गैर–सरकारी विद्यालयों में भी आर्थिक भेद को मिटाया जा सकता है। इसी अधिनियम में असमर्थ बच्चों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य षिक्षा का अधिकार है।

   इस अधिनियम के अन्तर्गत विशेष बच्चों को सामान्य कक्षाओं में रखना एक नागरिक अधिकार है। सभी विद्यालयों को पूरी तरह से सभी अषक्त बच्चों को शामिल करने के लिए उपयुक्त बनाना चाहिए।

7) समेकित षिक्षा से अभिप्राय सामान्य और विशेष आवष्यकताओं वाले बच्चों को साथ लाकर एक साथ षिक्षा उपलब्ध कराना है। ऐसी षिक्षा में प्रषिक्षित विशेष अध्यापकों की सहायता से कुछ षैक्षिक अनुभवों के लिए दोनों प्रकार के बच्चों को एक साथ लाया जाता है।

8) गतिषीलन अक्षमता वाले बच्चों की आवष्यकताएँ

   - शारीरिक गतिषीलन व नियंत्रण में सहायता
   - चलने में सहायता
   - कक्षा में बैठने का उचित प्रबंध
   - दैनिक जीवन की गतिविधियों में सहायता
   - बैठने ओर खड़े होने में सहायता
   - सकल गतिषीलन क्रियाओं का प्रषिक्षण
   - शारीरिक व्यायाम

9) मानसिक मंदता वाले बच्चों की आवष्यकताएँ

   - विभिन्न आकारों को पहचानने में सहायता
   - मानसिक व शारीरिक गतिविधियों में सुधार हेतु प्रषिक्षण
   - शारीरिक व्यायाम

- सूक्ष्म गामक कौषलों में सुधार हेतु प्रषिक्षण
- सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने का प्रषिक्षण
- अपनी आयु के साथियों के साथ खेल में भाग लेने को प्रोत्साहन

10) श्रवण दोषयुक्त बच्चों की विशेषताएँ

- सांकेतिक भाषा में प्रषिक्षण की आवष्यकता
- बहुसंवेदी प्रषिक्षण की आवष्यकता
- संभाषण सुधारने हेतु प्रषिक्षण
- संपूर्ण संप्रेषण का प्रषिक्षण

11) कक्षा में निम्न बदलावों की आवष्यकता होगीः

- उन सांवेगिक–मनोवैज्ञानिक कौषलों के विकास के क्रमबद्ध प्रयास, जो अधिगम अषक्त बच्चों में कम होते हैं।
- उन बच्चों को निर्देषन एवं परामर्ष
- अधिगम अषक्त बच्चों के माता–पिता को निर्देषन एवं परामर्ष
- अतिक्रियाषीलता तथा अन्य व्यावहारिक समस्याओं से निपटने के लिए व्यवहार परिवर्तन तकनीकियाँ
- वह संवेदी अनुकरण का प्रषिक्षण

12.12 संदर्भ पुस्तकें एवं प्रस्तावित पुस्तकें

कृष्ण कुमार, 2005, (द्वितीय संस्करण), *पॉलिटिक्ल एजेंडा ऑफ एजुकेषन*, (द्वितीय संस्करण) नई दिल्ली : सेज प्रकाषन।

मनी, एम.एन.जी. (2000), इंक्लूसिव एजुकेषन इन इंडियन कान्टेक्स, इंटरनेषनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलेपमेंट सेंटर फार दी डिसएबल्ड, रामकृष्ण मिषन विद्यालय, कोयम्बटूर

भारत सरकार (2009), *दी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेषन एक्ट*, विधि एवं न्याय मंत्रालय, संवैधानिक विभाग, नई दिल्ली, भारत।

भारत सरकार (1995), द परसंस विद डिसएबिलिटी एक्ट, विधि एवं न्याय मंत्रालय, संवैधानिक विभाग, नई दिल्ली, भारत।

www.uncrpdindia.org